



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 640 ]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, सितम्बर 6, 2001/भाद्र 15, 1923

No. 640]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2001/BHADRA 15, 1923

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2001

प्रलेख सं. सीडी-442/2001

का. आ. 858(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ छप्पनवां संशोधन) नियम, 2001 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

(1) प्रथम अनुसूची में,-

(क) "1. कृषि मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, "(iv) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग" उपशीर्ष का लोप किया जाएगा;

(ख) "1. कृषि मंत्रालय" शीर्ष और तत्संबंधी उपशीर्षों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"1क. कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ।";

- (ग) “3क. कोयला मंत्रालय” शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और उपशीर्ष रखे जाएंगे, अर्थात् :-
- “3क. कोयला और खान मंत्रालय
- (1) कोयला विभाग  
(11) खान विभाग ।”;
- (घ) “6. संचार मंत्रालय” शीर्ष और उससे संबंधित उपशीर्षों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-
- “6क. संस्कृति मंत्रालय ।”;
- (ङ.) “7. रक्षा मंत्रालय” शीर्ष और उससे संबंधित उपशीर्षों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-
- “7क. विनिवेश मंत्रालय ।”;
- (च) “11. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय” शीर्ष और उससे संबंधित उपशीर्षों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-
- “12. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ।”;
- (छ) “20. खान मंत्रालय” शीर्ष का लोप किया जाएगा ;

(ज) “29क. लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय” शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

“29क. लघु उद्योग मंत्रालय ।”;

(झ) “32क. पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय” शीर्ष और तत्संबंधी उपशीर्षों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

“32क. पर्यटन मंत्रालय ।”;

(ञ) “45. विनिवेश विभाग” शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

“45. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग ।”;

(2) दूसरी अनुसूची में,-

(क) “कृषि मंत्रालय” शीर्ष के अधीन, “घ. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग” उपशीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) “कृषि मंत्रालय” शीर्ष और उपशीर्षों तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

“कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

1. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ग्रामीण और कुटीर उद्योग, और बहुत छोटे/ सूक्ष्म उद्यमों के विकास का समन्वय ।
2. सभी ग्रामीण उद्योगों से संबंधित मामलों का समन्वय ।
3. कयर उद्योग ।

4. कयर बोर्ड ।
5. प्रधानमंत्री रोजगार योजना ।
6. खादी और ग्रामोद्योग आयोग ।'';

(ग) "कृषि मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, "ग. पशुपालन और डेरी विभाग" उपशीर्ष के अंतर्गत, प्रविष्टि 15 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"15. पशु उपयोग और वध से संबंधित सभी मामले ।";

(घ) "कोयला मंत्रालय" शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और उपशीर्ष तथा तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"कोयला और खान मंत्रालय

क. कोयला विभाग

1. भारत में कोकिंग और नान-कोकिंग कोयले तथा लिग्नाइट के भंडारों का खोज और विकास ।
2. कोयले के उत्पादन, पूर्ति, वितरण और कीमतों से संबंधित सभी मामले ।
3. इस्पात विभाग जिनके लिए जिम्मेदार है उनसे भिन्न कोयला वाशरियों का विकास और प्रचालन ।
4. कोयले का निम्न ताप पर कार्बनीकरण और कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन ।
5. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन ।
6. कोयला खान भविष्य निधि संगठन ।

कोयला खान कल्याण संगठन ।

8. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 ( 1948 का 46 ) का प्रशासन ।
9. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32 ) का प्रशासन
10. खानों से उत्पादित और प्रेषित कोक और कोयले पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा बचाव निधि के प्रशासन के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32 ) के अन्तर्गत नियम ।
11. कोयला-धारक क्षेत्र ( अधिग्रहण और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) का प्रशासन ।
12. कोयले और लिग्नाइट से संबंधित पब्लिक सेक्टर के उद्यम ।
13. खान और खनिज ( विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67 ) तथा अन्य केन्द्रीय कानूनों का प्रशासन जहां तक कि उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयले और लिग्नाइट और भरणार्थ बालू से है, इस प्रकार के प्रशासन से आनुषंगिक कार्य जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं ।

#### ख. खान विभाग

1. (i) भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए विधायन, जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, के भीतर समुद्र अधःशायी खानें और खनिज भी हैं।

(ii) कोयला, लिग्नाइट और भरणार्थ बालू तथा संघ के नियंत्रणाधीन विधि द्वारा यथाघोषित परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 ( 1962 का 33) के प्रयोजन के लिए विहित पदार्थों के रूप में घोषित कोई खनिज से भिन्न खानों का विनियमन और खनिजों का विकास, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में खनिजों के विनियमन और विकास से संबंधित प्रश्न और उससे संसक्त या उसके आनुषांगिक मामले भी हैं ।

2. सभी ऐसे अन्य धातु और खनिज, जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को आबंटित नहीं हैं जैसे अल्युमिनियम, जस्ता, तांबा, सोना, हीरा, सीसा और निकल ।
3. इस विभाग द्वारा व्यवहृत सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता ।
4. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण ।
5. भारतीय खान ब्यूरो ।
6. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी अन्य संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।
7. दि सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड ।
8. जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित किए गए हैं, उनके सिवाय इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अधीन आने वाले पब्लिक सेक्टर उद्यम और उपक्रम ।
9. मैटलार्जिकल ग्रेड सिलिकोन ।”;

(ड.) "संचार मंत्रालय" शीर्ष और उपशीर्ष तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

“संस्कृति मंत्रालय

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय; भारतीय संग्रहालय; भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय; विक्टोरिया स्मारक, ऐशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता और भारतीय युद्ध स्मारक तथा ऐसी सभी अन्य संस्थाएं जिनका वित्त पोषण पूर्णतः या अंशतः भारत सरकार द्वारा किया जाता है और जो संसद ने विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित की हैं।
2. राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ ।
3. पुरातत्त्व, पुरातत्त्वीय संग्रहालय ।
4. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 ( 1958 का 24 ) और प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 ( 1904 का 7 ) ।
5. ऐतिहासिक और पुरातत्त्वीय अवशेषों के उत्खनन और खोज कार्य के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान ।
6. सशस्त्र संघर्ष की दशा में सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय ।
7. स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास ।
8. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास ।
9. गांधी स्मृति और गांधी दर्शन का प्रशासन ।
10. पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 (1954 का 27) और प्रैस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1867 (1867 का 25) (जहां तक कि केन्द्रीय सरकार को पुस्तकें और सूची-पत्र देने का संबंध है ) ।

11. ललित कलाओं की अभिवृद्धि ।
12. साहित्य, ललित कला और संगीत नाटक अकादमियां ।
13. केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता; रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर; दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी; इंडिया आफिस लाइब्रेरी; राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; सालारजंग संग्रहालय और पुस्तकालय, हैदराबाद; खुदाबख्स ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी; नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय; गांधी दर्शन समिति; राष्ट्रीय चित्र दीर्घा; राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली; सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली; राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता; इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद; संग्रहालयों का व्यापक विकास ।
14. रत्न और आभूषण संग्रहालय ।
15. राष्ट्रीय नवकला भवन, नई दिल्ली ।
16. भारतीय और विदेशी कला वस्तुओं का अर्जन ।
17. निखात निधि; पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) तथा पुरावशेषों का निर्यात ।
18. ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नाट्यशालाएं और राज्यों की राजधानियों में नाट्य-शालाएं ।
19. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्कीम के अधीन आने वाले प्रवर्गों के लेखकों और कलाकारों से भिन्न निर्धनावस्था वाले लेखकों और कलाकारों को या उनके उत्तरजीवियों को वित्तीय सहायता ।
20. दान और पूर्त संस्थाएं, इस विभाग में व्यवहृत विषयों से संबद्ध दान और धार्मिक विन्यास ।



21. इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में छात्रवृत्तियां, जिसके अंतर्गत विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी हैं ।
22. दुर्लभ हस्तलेखों का प्रकाशन ।
23. अखिल भारतीय सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान ।
24. भारतीय विदेशी सांस्कृतिक सोसाइटियों को अनुदान ।
25. दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक करार और मैत्री संधियां ।
26. विदेशों से दान में प्राप्त पुस्तकों का वितरण ।
27. विदेशों में सांस्कृतिक अताशियों की नियुक्ति ।
28. समर्थित और असमर्थित सांस्कृतिक शिष्टमंडलों, आदि द्वारा भारत का परिदर्शन ।
29. विदेश परिदर्शन के लिए सरकार द्वारा समर्थित व्यक्ति (जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक व्याख्याता भी हैं ) ।
30. विदेशों को पुस्तकें भेंट करना ।
31. विदेशों में पुस्तकालयों की स्थापना ।
32. भारतीय वरेण्य ग्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद ।
33. शासकीय प्रकाशनों का विदेशी सरकारों और संस्थाओं के साथ विनिमय और ऐसे विनिमयों के लिए करार ।
34. विदेशों में भारतीय कला वस्तुओं का प्रदर्शन ।
35. सांस्कृतिक संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश ।

36. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन कलाकारों, नर्तकों/नर्तकियों, संगीतज्ञों, आदि का विनिमय ।
37. गजेटियरों का पुनरीक्षण ।
38. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की शताब्दियां और वार्षिकोत्सव मनाना ।
39. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों से संबंधित सूचना और आंकड़ों का प्रकाशन ।
40. इंटरनेशनल कांग्रेस ऑव ओरियंटलिस्टस ।
41. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ।
42. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ।
43. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ।
44. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता ।
45. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय से संबंधित अन्य सब संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।
46. रवीन्द्र रंगशाला ।
47. आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र ।
48. राष्ट्रीय संस्कृति परिषद ।
49. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र ( आई0जी0एन0सी0ए0 ) ।
50. राष्ट्रीय नाट्यगृह ।
51. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960(1960 का 59)
52. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ।

53. कांजी हाउस और पशु अतिचार से संबंधित मामले ।
54. गौशाला और गौसदन ।”;

(च) “रक्षा मंत्रालय” शीर्ष और उपशीर्षों और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

“विनिवेश मंत्रालय

1. केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से केन्द्रीय सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले ।
2. विनिवेश के तौर-तरीकों, जिसके अंतर्गत पुनर्गठन भी है, के बारे में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर निर्णय ।
3. विनिवेश संबंधी निर्णयों का कार्यान्वयन, जिसके अंतर्गत सलाहकारों की नियुक्ति, शेयरों का कीमत निर्धारण और विनिवेश की अन्य शर्तें भी हैं ।
4. विनिवेश आयोग ।
5. केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम ।”;

(छ) “उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय” शीर्ष और उपशीर्ष तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

“खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

1. वे उद्योग, जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में वहां तक समीचीन है, जहां तक वे निम्नलिखित से संबंधित हैं :

(क) कुछ कृषि उत्पादों ( दुग्ध चूर्ण, शिशु दुग्ध आहार, माल्ट मिश्रित दुग्ध आहार, संघनित दुग्ध, घी और अन्य डेरी उत्पाद) कुक्कुट और अंडे, मांस और मांस उत्पादों का संसाधन और प्रशीतन ;

- (ख) मछलियों का संसाधन ( जिसके अंतर्गत डिब्बाबंदी और हिमीकरण भी सम्मिलित है) ;
- (ग) मत्स्य संसाधन उद्योग के लिए विकास परिषद का स्थापन और उसकी प्रबंध व्यवस्था ;
- (घ) मत्स्य संसाधन उद्योगों को तकनीकी सहायता और सलाह;
- (ङ.) फल और सब्जी संसाधन उद्योग ( जिसके अंतर्गत हिमीकरण और निर्जलीकरण भी है ) ; और
- (च) खाद्यान्न पिसाई उद्योग ।
2. उन उद्योगों की योजना, विकास, नियंत्रण और सहायता जो डबल रोटी, तिलहन, चूर्ण ( खाने योग्य ), नास्ते के आहार, बिस्कुट, मिष्ठान ( जिसके अंतर्गत कोको संसाधन और चाकलेट बनाना भी है), माल्ट सार, पृथक्कृत प्रोटीन, उच्च प्रोटीन आहार, स्तनय त्याग आहार और उत्सारित खाद्य उत्पाद, (जिसके अंतर्गत तत्काल खाने योग्य अन्य आहार भी है) से संबंधित है ।
3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशिष्ट पैकेजिंग ।
4. बीयर जिसके अंतर्गत नान अल्कोहली बीयर भी है ।
5. ऐसे एल्कोहली पेय जिनका आधार शीरे पर न हो ।
6. वातित जल और सुपेय ।
7. माडर्न फूड इंडस्ट्रीज ( इंडिया) लिमिटेड ।
8. नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड ।”;

- (ज) “खान मंत्रालय” शीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
- (झ) “लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय” शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“लघु उद्योग मंत्रालय

1. कुटीर और ग्रामीण उद्योग, और बहुत छोट/सूक्ष्म उद्यमों को छोड़कर, लघु उद्योगों के विकास का समन्वय ।
2. लघु उद्योग बोर्ड ।
3. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ।”;

- (ञ) “पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय” शीर्ष और उपशीर्ष और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“पर्यटन मंत्रालय

1. पर्यटन का विकास ।
2. भारत पर्यटन विकास निगम और उसके अधीन पब्लिक सेक्टर होटल या मोटल्स ।
3. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के प्रयोजन के लिए जांच और सांख्यिकी ।”;

- (ट) “सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय” शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 37 और 38 का लोप किया जाएगा ;

(ठ) “योजना आयोग” शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“7. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर)।”;

(ड) “विनिवेश विभाग” शीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग

1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विकास संबंधी योजनाओं और परियोजनाओं, जिनके अंतर्गत विद्युत, सिंचाई, सड़क और संचार के क्षेत्र भी हैं, की आयोजना, कार्यान्वयन और मानीटरी से संबंधित मामले ।

टिप्पणी: जहां तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विकास योजना बनाने का संबंध है, विभाग को सहायता योजना आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी ।

2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ।
3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अव्यपगत निधि ।
4. उत्तर पूर्वी परिषद ।”।

के. आर. नारायणन  
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2001-कैबिनेट]  
अतुल कौशिक, उप सचिव

CABIN

## CABINET SECRETARIAT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2001

Doc. CD-442/2001

September, 2001.

S.O. 85 S.O. 858(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and fifty - sixth Amendment) Rules, 2001.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-
  - (2) in the First Schedule,-
    - (A) under the heading "1. Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya)", the sub-heading "(iv) Department of Food Processing Industries (Khadya Prasanskaran Udyog Vibhag)" shall be omitted;
    - (B) after the heading "1. Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya)" and sub-headings relating thereto, the following heading shall be inserted, namely:-

"1A. Ministry of Agro and Rural Industries (Krishi Evam Gramin Udyog Mantralaya).";
    - (C) for the heading "3A. Ministry of Coal (Koyala Mantralaya)" the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:-

"3A. Ministry of Coal and Mines (Koyala aur Khan Mantralaya)

      - (i) Department of Coal (Koyala Vibhag)
      - (ii) Department of Mines (Khan Vibhag).";

- (D) after the heading "6. Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya)" and the sub-headings relating thereto, the following heading shall be inserted, namely:-

"6A. Ministry of Culture (Sanskriti Mantralaya).";

- (E) after the heading "7. Ministry of Defence (Raksha Mantralaya)" and the sub-headings relating thereto, the following heading shall be inserted, namely:-

"7A. Ministry of Disinvestment (Vinivesh Mantralaya).";

- (F) after the heading "11. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Upbhokta Mamle, Khadya aur Sarvajanic Vitaran Mantralaya)" and the sub-headings relating thereto, the following heading shall be inserted, namely:-

"12. Ministry of Food Processing Industries (Khadya Prasanskaran Udyog Mantralaya).";

- (G) the heading "20. Ministry of Mines (Khan Mantralaya)" shall be omitted;

- (H) for the heading "29A. Ministry of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries (Laghu Udyog aur Krishi Evam Gramin Udyog Mantralaya)", the following heading shall be substituted, namely:-

"29A. Ministry of Small Scale Industries (Laghu Udyog Mantralaya).";

- (I) for the heading "32A. Ministry of Tourism and Culture (Paryatan aur Sanskriti Mantralaya)" and the sub-headings relating thereto, the following heading shall be substituted, namely:-

"32A. Ministry of Tourism (Paryatan Mantralaya).";

- (J) for the the heading "45. Department of Disinvestment (Vinivesh Vibhag)", the following heading shall be substituted, namely:-

"45. Department of Development of North Eastern Region (Uttar Poorvi Kshetra Vikas Vibhag).";



(2) in the Second Schedule, -

(A) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)", the sub-heading "D. DEPARTMENT OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (KHADYA PRASANSKARAN UDYOG VIBHAG)" and entries relating thereto shall be omitted;

(B) after the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)" and sub-headings and entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES (KRISHI EVAM GRAMIN UDYOG MANTRALAYA)

1. Coordination of the development of Village and Cottage Industries, and Tiny/Micro Enterprises in both urban and rural areas.
2. Coordination of matters relating to all Rural Industries.
3. Coir Industry.
4. The Coir Board.
5. Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY).
6. Khadi and Village Industries Commission."

(C) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)", under the sub-heading "C. ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (PASHUPALAN AUR DAIRY VIBHAG)", for entry 15, the following entry shall be substituted, namely:-

"15. Matters relating to cattle utilisation and slaughter.";

(D) for the heading "MINISTRY OF COAL (KOYALA MANTRALAYA)" and the entries relating thereto, the following heading and sub-headings and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"MINISTRY OF COAL AND MINES (KOYALA AUR KHAN MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF COAL (KOYALA VIBHAG)

1. Exploration and development of coking and non-coking coal and lignite deposits in India.
2. All matters relating to production, supply, distribution and prices of coal.

3. Development and operation of coal washeries other than those for which the Department of Steel (Ispat Vibhag) is responsible.
4. Low Temperature carbonisation of coal and production of synthetic oil from coal.
5. Administration of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974).
6. The Coal Mines Provident Fund Organisation.
7. The Coal Mines Welfare Organisation.
8. Administration of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1948 (46 of 1948).
9. Administration of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947).
10. Rules under the Mines Act, 1952 (32 of 1952) for the levy and collection of duty of excise on coke and coal produced and despatched from mines and administration of rescue fund.
11. Administration of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957).
12. Public Sector Enterprises dealing with coal and lignite.
13. Administration of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and other Union Laws in so far the said Act and Laws relate to coal and lignite and sand for stowing, business incidental to such administration including questions concerning various States.

B. DEPARTMENT OF MINES (KHAN VIBHAG)

1. (i) Legislation for regulation of mines and development of minerals within the territory of India, including mines and minerals underlying the ocean within the territorial waters or the continental shelf, or the exclusive economic zone and other maritime zones of India as may be specified, from time to time, by or under any law made by Parliament.

- (ii) Regulation of mines and development of minerals other than coal, lignite and sand for stowing and any other mineral declared as prescribed substances for the purpose of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) under the control of the Union as declared by law, including questions concerning regulation and development of minerals in various States and the matters connected therewith or incidental thereto.
2. All other metals and minerals not specifically allotted to any other Ministries/Departments, such as, aluminium, zinc, copper, gold, diamonds, lead and nickel.
  3. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.
  4. Geological Survey of India.
  5. Indian Bureau of Mines.
  6. All other Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
  7. The Sikkim Mining Corporation Limited.
  8. Public Sector Enterprises and undertakings falling under the subjects included in this list, except those which are specifically allotted to any other Department.
  9. Metallurgical Grade Silicon.";

(E) after the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA)" and the sub headings and entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF CULTURE (SANSKRITI MANTRALAYA)

1. National Library; the Indian Museum; the Indian War Memorial Museum; the Victoria Memorial, the Asiatic Society, Kolkata and the India War Memorial and all other like institutions financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be institutions of national importance.

2. National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow.
3. Archaeology, Archaeological Museums.
4. The Ancient Monuments and Archaeological sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) and the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (7 of 1904).
5. Grants of Universities and Research Institutions for excavation and exploration of historical and archaeological remains.
6. International Conventions for the protection of cultural property in the event of armed conflict.
7. History of Freedom Movement.
8. Jallianwala Bagh National Memorial Trust.
9. Administration of Gandhi Smriti and Gandhi Darshan.
10. The delivery of Books and News Papers (Public Libraries) Act, 1954 (27 of 1954) and the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867) (in so far as supply of books and catalogues to the Central Government is concerned).
11. Promotion of fine arts.
12. Sahitya, Lalit Kala and Sangeet Natak Academies.
13. The Central Secretariat Library; Central Reference Library, Calcutta; Rampur Raza Library, Rampur; Delhi public Library; India Office Library; National Museum, New Delhi; Salar Jung Museum and Library, Hyderabad; Khudabux Oriental Public Library; Nehru Memorial Museum and Library; Gandhi Darshan Samiti; National Gallery of Portraits, National School of Drama, New Delhi; Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi; Raja Rammohan Roy Library Foundation, Kolkata; Allahabad Museum, Allahabad; General Development of Museums.
14. Museum of Gems and Jewellery.
15. National Gallery of Modern Art, New Delhi.
16. Acquisition of Indian and Foreign Art objects.

17. Treasure Trove; the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972) and Export of antiquities.
18. Open air theatres in rural areas and theatres in State capitals.
19. Financial assistance to authors and artists or their survivors in indigent circumstances, other than those belonging to the categories covered under the scheme of the Ministry of Information and Broadcasting (Soochana aur Prasaran Mantralaya).
20. Charities and Charitable institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.
21. Scholarships, including those offered by foreign Government and foreign agencies, in respect of subjects dealt with by this Department.
22. Publication of rare manuscripts.
23. Grants to all-India Cultural Institutions.
24. Grants to Indo-foreign Cultural Societies.
25. Cultural agreements and friendship treaties with foreign countries.
26. Distribution of gift books received from abroad.
27. Appointment of Cultural Attaches abroad.
28. Visit of Cultural Delegations, etc. to India, sponsored and unsponsored.
29. Individuals (including cultural lecturers) sponsored by Government for visits abroad.
30. Presentation of books to foreign countries.
31. Establishment of libraries abroad.
32. Translation of Indian classics into foreign languages.
33. Exchange of official publications with foreign Governments and institutions and agreements for such exchanges.

34. Presentation of Indian art objects abroad.
35. Admission of Foreign students in Cultural Institutions.
36. Exchange of artists, dancers, musicians, etc. under the Cultural Exchange Programmes.
37. Revision of Gazetters.
38. Observance of Centenaries and anniversaries of important personalities.
39. Publication information and statistics relating to subjects dealt with by this Department.
40. International Congress of Orientalists.
41. Anthropological Survey of India.
42. National Archives of India.
43. Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya.
44. National Council of Science Museums, Calcutta.
45. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
46. Rabindra Rangshalla.
47. Zonal Cultural Centres.
48. National Council of Culture.
49. Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA).
50. National Theatre.
51. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960).
52. Prevention of cruelty to animals.
53. Matters relating to pounds and cattle trespass.
54. Gaushalas and Gausadans.";

- (F) after the heading "MINISTRY OF DEFENCE (RAKSHA MANTRALAYA)" and the sub-headings and entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF DISINVESTMENT (VINIVESH MANTRALAYA)

1. All matters relating to disinvestment of Central Government equity from Central Public Sector Undertakings.
2. Decisions on the recommendations of the Disinvestment Commission on the modalities of disinvestment, including restructuring.
3. Implementation of disinvestment decisions, including appointment of advisers, pricing of shares, and other terms and conditions of disinvestment.
4. Disinvestment Commission.
5. Central Public Sector Undertakings for purposes of disinvestment of Government equity only.";

- (G) after the heading "MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (UPBHOKTA MAMLE, KHADYA AUR SARVAJANIK VITARAN MANTRALAYA)" and the sub-headings and entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (KHADYA PRASANSAKARAN UDYOG MANTRALAYA)

1. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to -
  - (a) processing and refrigeration of certain agricultural products (milk powder, infant-milk food, Malted milk food, Condensed milk, Ghee and other dairy products), Poultry and eggs, Meat and Meat products;
  - (b) processing of fish (including canning and freezing);

- (c) establishment and servicing of Development Council for fish processing industry;
  - (d) technical assistance and advice to fish processing industry;
  - (e) fruit and vegetable processing industry (including freezing and dehydration); and
  - (f) foodgrains milling industry.
2. Planning, development and control of, and assistance to, industries relating to bread, oilseeds, meals (edible), breakfast foods, biscuits, confectionery; (including Cocoa processing and Chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and extruded food products (including other ready-to-eat foods).
  3. Specialized packaging for food processing industry.
  4. Beer including non-alcoholic beer.
  5. Alcoholic drinks from non-molasses base.
  6. Aerated water and soft drinks.
  7. Modern Food Industries (India) Ltd.
  8. North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.”;
- (H) the heading “MINISTRY OF MINES (KHAN MANTRALAYA)” and the entries relating thereto shall be omitted.



- (I) for the heading "MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES (LAGHU UDYOG AUR KRISHI EVAM GRAMIN UDYOG MANTRALAYA)" and the entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES (LAGHU UDYOG MANTRALAYA)

1. Coordination of the Development of Small Scale Industries, other than Cottage and Village Industries, and Tiny/Micro Enterprises.
2. Small Industries Board.
3. National Small Industries Corporation Limited."

- (J) for the heading "MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE (PARYATAN AUR SANSKRITI MANTRALAYA) and the sub-headings and entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"MINISTRY OF TOURISM (PARYATAN MANTRALAYA)

1. Development of Tourism.
2. India Tourism Development Corporation and public Sector Hotels or Motels thereunder.
3. Inquiries and Statistics for the purpose of any of the matters specified in this list."

- (K) under the heading "MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SAMAJIK NYAYA AUR ADHIKARITA MANTRALAYA)", the entries 37 and 38 shall be omitted;
- (L) under the heading "PLANNING COMMISSION (YOJANA AYOG)", for the entry 7, the following entry shall be substituted, namely:-
- "7. Hill Areas Development Programme (except in the North Eastern Region).";
- (M) for the heading "DEPARTMENT OF DISINVESTMENT (VINIVESH VIBHAG)" and entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
- "DEPARTMENT OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (UTTAR POORVI KSHETRA VIKAS VIBHAG)
4. Matters relating to the planning, execution and monitoring of developmental schemes and projects of North Eastern Region including those in the sectors of Power, Irrigation, Roads and Communications.
- Note: In so far as development planning of North Eastern Region is concerned, the Department will be serviced by the Planning Commission.
5. Hill Area Development Programme in North Eastern Region.
6. Non-lapsable Fund for the North Eastern Region.
4. North Eastern Council."

K. R. NARAYANAN  
PRESIDENT

[F. No. 1/22/1/2001-CAB.]  
ATUL KAUSHIK, Dy. Secy.